

25/7/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपास्थित जहाँ  
हस्तगत प्रार्थना पत्र का मूलवाद अदम हाजरी- अदम पैरवी  
में खारिज हो जाने से इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं  
रहती है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी की अनुपस्थिति में अदम हाजरी-  
अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। निर्णय और इजलास  
सुनाया गया।

प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

*[Signature]*

प्रतिभा बर्मन

DAS

उपखण्ड अधिकारी  
गिरवा, उदयपुर